फर्द अहकाम

[कार्य]ालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

करमसातुन बनाम राजस्थान सरकार

[प्रकरण] नम्बर :– 26/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
16/5/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश हो।	
31/5/24	प० वादी उप० पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 5/6/24 को पेश हो।	
5/6/24	प० वादी उप० पत्रावली वास्ते अवलोकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 14/6/24 को पेश हो।	
14/6/24	प० वादी उप० अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट TPR का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व मौका नक्शा संशोधित किया जाना उचित बताया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली शामिल पत्रावली किया [illegible] नम्बर के साथ शामिल होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–26/2021

उनवान

करम खातून पत्नी लियाकत अली खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र सुवालाल
3. भगवानसहाय पुत्र नारायण
4. मोहरीलाल पुत्र नारायण
5. सुरजमल पुत्र नारायण
6. सोहनलाल पुत्र नारायण

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक :–14.06.2021

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीया की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 55 के खसरा नं0 2452 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2453 रकबा 1.46 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमियों के गत खसरा नं0 1311 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1312 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 1313 रकबा 0.41 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर है तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 2468 रकबा 0.25 है0 स्थित है जिसके गत खसरा नं0 1324 मिन हैं। आराजी भूमि खसरा नं0 2452 व खसरा नं0 2452 व 2453 का राजस्व नक्शा व भूमि ही प्रस्तुत वादपत्र में विवादित भूमि है। वादीया के कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का गत राजस्व नक्शा खसरा नं0 1311, 1312 व 1313 का राजस्व नक्शा सही था, लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शा दौराने भू–प्रबन्धन राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार करते समय वादीया के वर्तमान राजस्व नक्शे में वादीया के वर्तमान खसरा नं0 2452 व 2453 के नक्शे में पूर्वी ओर प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 2468 की पश्चिमी सीमा को वादीया की खातेदारी भूमि की पूर्वी सीमा की तरफ अन्दर की ओर बिना किसी क्षेत्राधिकार व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी अधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादीया को बिना सुने दबा दिया गया। जबकि वादीया आज भी पूर्व/गत राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 2468 का राजस्व नक्शा गत राजस्व नक्शे के अनुसार ही बनाना चाहिए था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने भू–प्रबन्धन उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है, जो अवैध है तथा दुरुस्ती योग्य है। भू–प्रबन्धन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:54:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...यों को वादीया के वर्तमान खसरा नं0 2452 व 2453 के राजस्व नक्शे में कांट–छांट ... वादीया की भूमि को कम करने का कोई हक अधिकार सक्षम अधिकारी के आदेश के ...नहीं था, लेकिन बराय बदनियति राजस्व कर्मचारियों ने वादीया को नुकसान कारित ...रने व वादीया को उसकी भूमि से महरुम करनें की नियत से विधि विरुद्ध रुप से वादीया की भूमि खसरा नं0 2452 व 2453 की पूर्वी सीमा को दबाते हुए प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की खातेदारी भूमि की पश्चिमी सीमा को अन्दर की ओर दबाया है जो विधि विरुद्ध है। दिनांक 04.03.2021 को वादीया ने प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 से सम्पर्क कर वर्तमान राजस्व नक्शे में हुए गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने बाबत निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 ने वादीया को नये राजस्व नक्शे को पुराने नक्शे अनुसार दूरुस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादीया को एलानियां धमकी दी कि हम हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तुम्हें मौके से जबरिया बेदखल करके रहेंगे, जिस पर वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान राजस्व नक्शे में हुए गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा राजस्व नक्शे में हुए गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। जिस कारण वादीया द्वारा उक्त नक्शा दुरुस्ती का वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

अतः वादीया द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण नक्शा दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर वादीया की कब्जेकाश्त व खातेदारी आराजी भूमि हाल खसरा नं0 2452 व 2453 के वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी सं0 1 को आदेशित किया जावे। वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सथायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 वर्तमान गलत राजस्व नक्शे के आधार पर वादीया को उसके कब्जेकाश्त व खातेदारी उपयोग–उपभोग की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही उपयोग–उपभोग में रुकावट या दखल करें तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 भूमि के मौके की स्थित में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

तहसीलदार, तहसील चौमूं से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक नकल नक्शा गत खसरा नं0 1311, 1312, 1313 एवं हाल खसरा नं0 2452, 2453 को उपर–नीचे रखकर आकृति मलिान करने पर हाल खसरा नं0 2453 के उत्तर–पूर्व दिशा में उपर की तरफ 6 मीटर बढ़ा दिया गया है तथा इसी प्रकार उक्त खसरा नं0 2453 को दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण–पश्चिम की ओर 6 मीटर बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार उक्त खसरा नं0 2453 को आराजी खसरा नं0 2468 के उत्तर से दक्षिण की ओर 24 मीटर कम कर दिया गया है। जिससे हाल खसरा नं0 2453 की सीमाओं में परिवर्तन होने से रकबा कम कर दिया गया है। मुताबिक गत नक्शा के हाल खसरा नं0 2452 व 2453 में से खसरा नं0 2453 को उत्तर–पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ व दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण–पश्चिम की तरफ संशोधित किया जाना उचित है। इसी प्रकार हाल खसरा नं0 2453 को लगवा खसरा नं0 2468 के उत्तर–दक्षिण दिशा की ओर संशोधित किया जाना उचित है। परन्तु गत नक्शा अनुसार हाल खसरा नं0 2453 की उत्तर–दक्षिण दिशा की सीमा संशोधित किया जाता है तो लगवा खसरा नं0 हाल 2468 की पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण की सीमा व रकबा प्रभावित होता है। उक्त प्रभावित खसरा नं0 2468 कुल रकबा 0.2500 है0 प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 के खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व

Scanned with OKEN Scanner

पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, तहसील चौमूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीया द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व तहसीलदार, तहसील चौमूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया की कब्जेकाश्त व खातेदारी आराजी भूमि हाल खसरा नं0 2452 व 2453 के वर्तमान राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 55 के खसरा नं0 2452 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2453 रकबा 1.46 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि में वादीया की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जावे तथा तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार चौमूं का लिखा जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रैक/मु0)
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

करम खातून पत्नी लियाकत अली खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र सुवालाल
3. भगवानसहाय पुत्र नारायण
4. मोहरीलाल पुत्र नारायण
5. सुरजमल पुत्र नारायण
6. सोहनलाल पुत्र नारायण

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–26/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 55 के खसरा नं0 2452 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2453 रकबा 1.46 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि में वादीया की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे को गत राजस्व नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...जी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....
.... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 14.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ......

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner